Title: Regarding cauvery river water dispute.

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) (बीजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। २६.११.९९ को सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नदी विवाद के बारे में केन्द्र के प्रमाण पत्र से हुए उत्पन्न संशय से कर्नाटक में अलमट्टी डैम की ऊंचाई पर विवाद है। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Hon. Member may please understand that the matter is already in the Supreme Court. You cannot raise the matter here. The matter is pending in the Supreme Court.

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : वह नये सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : नए मेम्बर हों या पुराने मेम्बर,

You cannot raise such kind of matters in the House. The matter is sub judice.

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : मैं केन्द्र सरकार का इतना ही वक्तव्य चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार से निर्लिप्त है या नहीं? उधर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा रहे हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या राय है? इतना ही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।